

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 958

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

**सिबिल स्कोर के कारण पहली बार ऋण लेने वाले लोगों के समक्ष आने वाली चुनौतियां**

958. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पहली बार ऋण लेने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के उन श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से अवगत है, जिनकी कम सिबिल स्कोर होने या सिबिल स्कोर नहीं होने की वजह से क्रेडिट तक सीमित पहुंच है या कोई पहुंच नहीं है;
- (ख) क्या सरकार पहली बार ऋण लेने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है, भले ही उनकी सीमित क्रेडिट हिस्ट्री हो अथवा उनके पास औपचारिक आय दस्तावेजों की कमी हो;
- (ग) छोटे भुगतान में देरी के कारण महत्वपूर्ण सिबिल स्कोर में गिरावट की समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसी गिरावटों का व्यक्तियों के ऋण प्राप्त करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है; और
- (घ) विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित और सीमित वित्तीय साक्षरता वाले आम लोगों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को और अधिक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क) से (घ):** ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा क्रेडिट स्कोर सहित ऋण सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर प्रदान की जाती है जिसका उपयोग क्रेडिट सुविधाओं के मूल्यांकन के लिए ऋण संस्थानों (सीआई) द्वारा किया जाता है। सीआई द्वारा प्रस्तुत ऋण सूचना के आधार पर सीआईसी द्वारा क्रेडिट स्कोर संबंधित प्रोपराइटी मॉडल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।

सीआई क्रेडिट सुविधाओं का मूल्यांकन बैंक द्वारा अनुमोदित नीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के आधार पर करती हैं। ऋण सूचना रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार सीआई को यह सलाह दी गई है कि पहली बार ऋण लेने वाले व्यक्तियों के आवेदनों को केवल इस बात पर अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है।

मास्टर निदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, आम आदमी को सेवा प्रदान करने में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :-

- (i) व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में क्रेडिट स्कोर सहित एक मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंच प्रदान करना।
- (ii) सीआईसी के विरुद्ध की गई शिकायतों को कवर करने के लिए रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत वैकल्पिक निवारण तंत्र।
- (iii) ग्राहकों को उनके डाटा सुधार के अनुरोध को अस्वीकृत करने के कारणों, यदि कोई हों, की सूचना देना ताकि ऐसे ग्राहक सीआईआर के मामलों को बेहतर तरीके से समझ सकें।
- (iv) क्रेडिट सूचना के विलंबित अद्यतन/सुधार के लिए मुआवजा तंत्र का कार्यान्वयन।
- (v) मौजूदा ऋण सुविधाओं में चूक या पिछले दिनों के संबंध में सीआईसी द्वारा मूल्यांकन अथवा सूचना प्रस्तुत करते समय ग्राहकों को एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजना।

प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 में यह प्रावधान किया गया है कि उधारकर्ता या ग्राहक संबंधित सीआईसी या सीआई से अपनी ऋण सूचना में सुधार/उसे अद्यतन करने के लिए अनुरोध कर सकता है और संबंधित सीआईसी या सीआई से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने से तीस दिनों के भीतर ऋण सूचना को अद्यतन करने के लिए उचित कदम उठाने की अपेक्षा की गई है।

असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को संगठित में शामिल करने और गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों, जिनमें असंगठित क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं, को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं आरंभ की हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) पीएम स्वनिधि;
- (ii) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना;
- (iii) स्टैंट-अप इंडिया;
- (iv) पीएम विश्वकर्मा; और
- (v) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

\*\*\*\*\*